



कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं क्षेत्रीय निदेशक
इन्द्रावती टायगर रिजर्व जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़

Fax - 07782-225073, Phone -07782-222931, E-mail-ccfwljdp@gmail.com

क्रमांक/व0जी0/त.अधि./1243

जगदलपुर, दिनांक 30/06/2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन्यजीवन)
अरण्य भवन अटल नगर
नवा रायपुर छ.ग.

विषय :- राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सुकमा का बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर कोटमसर परिक्षेत्र के अन्तर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रं0 - 89 में से रकबा 2.206 हे0 कक्ष क्रं0 - 90 में रकबा 2.199 हे0 कक्ष क्रं0 - 164 में रकबा 1.991 हे0 कक्ष क्रं0 - 165 में रकबा 1.990 हे0 कुल योग रकबा 8.386 हे0 राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (पुराना 221) के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु वन संरक्षक अधिनियम 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव ।

संदर्भ :- (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) का पत्र क्रमांक/भू. प्रबंध/विविध/115-900/1024 दिनांक 01.06.2023
(2) निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर का पत्र क्रमांक/ त.अ. / 1910 दिनांक 28.06.2023

—000—

विषयांतर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र क्रमांक-02 के माध्यम से निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर द्वारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जगदलपुर-सुकमा-कोण्टा मार्ग के प्रस्ताव में उठाये गये आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है ।

अतः जानकारी संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित हैं ।

संलग्न- उपरोक्तानुसार ।

(मो. शाहिद)

भा.व.से.

मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं
क्षेत्रीय निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व
जगदलपुर, बस्तर, छ.ग.

पृ.क्रमांक/व0जी0/त0अधि0/1244

जगदलपुर, दिनांक 30/06/2023

प्रतिलिपि-

- (1) निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- (2) कार्यापालन अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग सुकमा छ.ग. को सूचनार्थ अग्रेषित ।

मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं
क्षेत्रीय निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व
जगदलपुर, बस्तर, छ.ग.



कार्यालय निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर छ0ग0

फोन एवं फैक्स नं0 (07782) 299470 कार्यालय, ई-मेल dirkvnp.cg@gov.in

क्रमांक/त0अ0/ 1910

जगदलपुर दिनांक/ 28/4/23

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (व.जी.) एवं
क्षेत्रीय निदेशक इन्द्रावती टायगर रिजर्व
जगदलपुर

मु.व.सं. (व.जी.) एवं
विषय :-
30/6/2023

राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सुकमा का बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर कोटमसर परिक्षेत्र के अन्तर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रं0 - 89 में से रकबा 2.206 हे0 कक्ष क्रं0 - 90 में रकबा 2.199 हे0 कक्ष क्रं0 - 164 में रकबा 1.991 हे0 कक्ष क्रं0 - 165 में रकबा 1.990 हे0 कुल योग रकबा 8.386 हे0 राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (पुराना 221) के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु वन संरक्षक अधिनियम 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव ।

संदर्भ :- (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) का पत्र क्रमांक/भू. प्रबंध/विविध/115-900/1024 दिनांक 01.06.2023

—000—

निवेदन है कि विषयांकित संदर्भित पत्र में उठाये गये आपत्तियों को सुधार कर जानकारी तैयार कर आपके अवलोकनार्थ सादर संप्रेषित हैं ।

क्रं.	चाही गई जानकारी	जानकारीयों की पूर्ति
1	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक - 4 में चेक लिस्ट में निर्धारित कंडिका 4 अनुसार गैर वन क्षेत्र का विवरण प्रदाय किया जाना है, किंतु उसके स्थान पर वनक्षेत्र विवरण प्रदाय किया गया है ।	जानकारी संलग्न प्रेषित है ।
2	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 21 से 24 तथा पृष्ठ क्रमांक 79 से 84 में निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर द्वारा अपनी अनुशंसा भाग - 2 में प्रदाय की गई है उक्त भाग - 2 के अनुक्रमांक - 10 में आवेदित स्थल को राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं होना दर्शाया गया है, जबकि प्रस्ताव में अन्यत्र लेख किया गया है कि प्रस्तावित स्थल कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का भाग है कृपया स्थिति स्पष्ट करें ।	जानकारी संलग्न प्रेषित है ।
3	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक - 77 से 78 में निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा अपनी अनुशंसा प्रपत्र - 3 में प्रदाय की गई है । उक्त प्रपत्र - 3 के अनुक्रमांक 10 में आवेदित स्थल को राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं होना दर्शाया गया है, जबकि प्रस्ताव में अन्यत्र लेख है कि प्रस्तावित स्थल कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का भाग है । कृपया स्थिति स्पष्ट करें ।	जानकारी संलग्न प्रेषित है ।

4	संदर्भित पत्र के बिंदु क्रमांक - 42 तथा प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक - 130 अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नहीं होना लेख है। प्रस्ताव में ओवदित वन क्षेत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी के प्रशासनिक नियंत्रण का स्थल है ऐसी स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी से प्रस्तावित सड़क निर्माण के फलस्वरूप क्षेत्र के वन्यप्राणियों के निर्बाध आवागमन की दृष्टिकोण से Conservation Measures की जानकारी के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।	कंडिका 42 की जानकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा दिया जाना है।
5	प्रस्ताव के पृ. क्र. 125 में प्रत्याशा मूल्य का गणना पत्रक लगाया गया है जो कि त्रुटि पूर्ण है। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के दिशा निर्देश पुस्तिका के चेप्टर 3 में उल्लेखित तालिका अनुसार राष्ट्रीय उद्यान में आवेदित क्षेत्र हेतु 10 गुना प्रत्याशा मूल्य लिया जाना है। तदनुसार भारत सरकार के निर्देशानुसार गणना पत्रक को संशोधित कर प्रेषित करें।	जानकारी संलग्न प्रेषित है।

निदेशक

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान

जगदलपुर छ0ग0

पृ.क्रमांक/त0अ0/ 1911

प्रतिलिपि-

(1) कार्यापालन अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग सुकमा छ.ग. को सूचनार्थ अग्रेषित।

जगदलपुर दिनांक/22/6/23

निदेशक

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान

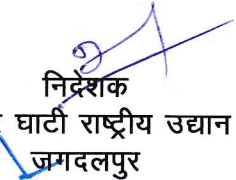
जगदलपुर छ0ग0

// गैर वन क्षेत्र का विवरण //

कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सुकमा कांगेर राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के पार्क परिक्षेत्र कोटमसर के अंतर्गत आरक्षित अंतर्गत प्रस्तावित उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य कि०मी० 25.530 से 31.540 = 6.010 कि०मी० के वन कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206, कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991, कक्ष क्रमांक 165 रकबा 1.990 कुल योग रकबा 8.386 हेक्टेयर में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 221) जगदलपुर-सुकमा-कोंटा मार्ग कि०मी० 25.530 से 31.540 कुल 6.010 कि०मी० पर उन्नयन एवं चौड़ीकरण का निर्माण कार्य हेतु कांगेर राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के अंतर्गत प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र गैर वन भूमि में सम्मिलित नहीं है।



कार्यपालन अभियंता,
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग
सुकमा



निर्देशक
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
जगदलपुर

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1	परियोजना का नाम	छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के अंतर्गत प्रस्तावित उन्नयन एवं चौड़ीकरण सुकमा-जगदलपुर-कोंटा मार्ग कि०मी० 25.530 से 31.540 कुल 6.010 कि०मी० निर्माण हेतु वन परिक्षेत्र कोटमसर अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि रकबा 8.386 हे० क्षेत्र की न्यूनतम मांग है।			
2	आवेदक/आवेदक का विभाग का नाम	कार्यपालन अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग सुकमा (छ.ग.)			
3	गैर वनिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	सड़क चौड़ीकरण निर्माण हेतु			
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल	
		बस्तर	निदे एक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर	कोटमसर परिक्षेत्र, के अंतर्गत आरक्षित कुल रकबा 8.386 हे०	
5	वन भूमि / राजस्व वन भूमि का विस्तृत विवरण	वन खंड			
	(क) सीमांकित संरक्षित वन				
	(ख) सीमांकित आरक्षित वन	कोटमसर	कक्षक्र०/रकबा 89/2.206, 90/2.199, 164/1.991, 165/1.990	रकबा हे.में 8.386	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल हे.में
	(घ) राजस्व वनक्षेत्र				
योग :-				8.386	8.386

6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	मिश्रित वन घनत्व 0.7 से अधिक
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	संलग्न है।
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	सामान्य

9	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	नहीं
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	हाँ
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/ भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या	नहीं
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण दें।	नहीं

// प्रमाण-पत्र //

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई कुल 8.386 हे. आरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :-

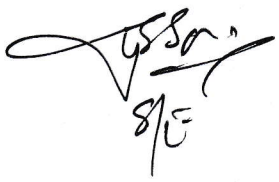
स्थान :- बस्तर

सहायक वन संरक्षक
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
जगदलपुर

(गणवीर धम्मशील)
भा.व.से.
निदेशक
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
जगदलपुर

वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत

बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के अंतर्गत प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक- 221) जगदलपुर-सुकमा-कोंटा मार्ग कि०मी० 25.530 से 31.540 कुल 6.010 कि०मी० पर उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य परियोजना निर्माण हेतु अभिमत प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) नवा रायपुर द्वारा दिया जाना है।



कार्यपालन अभियंता
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग
सुकमा (छ.ग.)



निदेशक
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
जगदलपुर (छ.ग.)

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग- 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :- FP/CG/Road/40013/2019

7-		परियोजना/स्कीम का स्थान	छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के अंतर्गत प्रस्तावित उन्नयन एवं चौड़ीकरण सुकमा-जगदलपुर-कोंटा मार्ग कि०मी० 25.530 से 31.540 कुल 6.010 कि०मी० निर्माण हेतु वन परिक्षेत्र कोटमसर अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि रकबा 8.386 हे० क्षेत्र की न्यूनतम मांग है।
	i.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
	ii.	जिला	बस्तर
	iii.	वन प्रभाग	निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर
	iv.	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है	8.386 हेक्टेयर
	v.	वन की कानूनी स्थिति	
		(क) सीमांकित संरक्षित वन	—
		(ख) सीमांकित आरक्षित वन	8.386 हेक्टेयर
		(ग) असीमांकित संरक्षित वन	—
		(घ) राजस्व वनक्षेत्र	—
		योग :-	8.386 हेक्टेयर
	vi.	हरियाली का घनत्व	0.7 से अधिक
	vii.	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाए।	सूची संलग्न है।
	viii.	भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी	निरंक
	ix.	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.	वन सीमा से लगा हुआ। (मानचित्र संलग्न)

	x.	क्यो फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैब मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	हाँ
	xi.	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।	नहीं
	xii	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	प्रस्तावित उन्नयन एवं चौड़ीकरण सुकमा-जगदलपुर-कोंटा मार्ग कि०मी० 25.530 से 31.540 कुल 6.010 कि०मी० निर्माण हेतु वन परिक्षेत्र कोटमसर अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि रकबा 8.386 हे० क्षेत्र की न्यूनतम मांग है। निर्माण हेतु दंतेवाड़ा वनमण्डल के आवेदित राजस्व वन भूमि के अन्तर्गत कोई भी सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र नहीं है। प्रस्तावित पाईप लाईन बिछाने से किसी भी ऐतिहासिक स्थलों को किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा।
8	.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	प्रस्तावित वनभूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है
9		क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है । (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं
10		प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	आवश्यकता नहीं है।
	ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।	आवश्यकता नहीं है।

	iii.	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	आवश्यकता नहीं है।
	iv.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	—
	v.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	आवश्यकता नहीं है।
11		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	आवश्यकता नहीं है।
12		विभाग/जिला प्रोफाईल	
	i.	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4029.980 Sq. Km.
	ii.	जिले का वनक्षेत्र	2211.807 Sq. Km.
		आरक्षित वन	1083.761 Sq. Km.
		संरक्षित वन	661.326 Sq. Km.
		असीमांकित वन	466.720 Sq. Km.
		योग :-	2211.807 Sq. Km.
	iii.	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	
	iv.	1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक:	
		क. दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	
		ख. वनेत्तर भूमि पर।	
	v.	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :-	
		क. वनभूमि।	

	ख. वेनेत्तर भूमि पर	
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-221) के कि०मी० 25.530 से 31.540 कुल लम्बाई 6.010 कि०मी० कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत विद्यमान मार्ग की चौड़ाई बी०टी० 3.00 मी. है। आवागमन के समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। विद्यमान मार्ग को उन्नयन एवं चौड़ीकरण करने से आवागमन की सुविधा होगी। बनाने के उद्देश्य से ताकि व्यापारिक वित्तीय एवं आवागमन, परिवहन सुविधा हो सके, चौड़ीकरण निर्माण हेतु कोटमसर परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन रकबा कक्ष क्रमांक 89 में से रकबा 2.206, कक्ष क्रमांक 90 रकबा 2.199, कक्ष क्रमांक 164 रकबा 1.991, कक्ष क्रमांक 165 रकबा 1.990 कुल योग रकबा 8.386 हेक्टेयर क्षेत्र की न्यूनतम मांग है।

दिनांक : 30-5-2022

स्थान : जगदलपुर

निदेशक (गणवरिधिमशीन)
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
जगदलपुर

प्रकरण का पंजीयन क्र.: FP/CG/Road/145285/2021

प्रकरण का नाम : रोड़

कुल आवेदित वन भूमि रकबा 8.386 हे.

वन भूमि का विवरण:-

आरक्षित वन कक्ष क्र. 8.386 हे.

RF 89, RF90, RF 164, RF 165

योग :- 8.386 हे.

वन वृत्त:- वन्यप्राणी जगदलपुर

वनमण्डल:- कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर

आवेदक संस्था: E.E., N.H. Division, Sukma, Dist, Sukma,

अ. समस्त कार्यों हेतु

भूमि का प्रकार	वनो का प्रकार (वैभियन एवं सेठ वर्गीकरण के अनुसार)	कुल क्षेत्रा (हे.)	नियत ईको क्लास (Eco class) विभिन्न घनत्व श्रेणी अंतर्गत क्षेत्रफल											कुल क्षेत्रा ईको क्लास (Eco class) (हे.) (4+7+10)	कुल प्रत्याशा मूल्य वसूली (रु.) (6+9+12)
			बहुत सघन वन (हे.)	प्रत्याशा मूल्य की दर (रु.)	प्रत्याशा मूल्य (रु.)	सघन वन (हे.)	प्रत्याशा मूल्य की दर (रु.)	प्रत्याशा मूल्य (रु.)	खुला वन (हे.)	प्रत्याशा मूल्य की दर (रु.)	प्रत्याशा मूल्य (रु.)	प्रत्याशा मूल्य की दर (रु.)	प्रत्याशा मूल्य (रु.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Reserve Forest (आरक्षित वन)	Eco Class - I (Tropical Moist Deciduous Forests)	8.386	8.386	1595790.00	13382295 X 10 = 133822950	-	-	-	-	-	-	8.386	133822950.00		
कुल (अ)		8.386	-	-	133822950.00	-	-	-	-	-	-	8.386	133822950.00		

कुल प्रत्याशा मूल्य की देय राशि (समस्त कार्यों हेतु): रुपये 13,38,22,950 /- (तिरह करोड़ अड़तीस लाख बाईस हजार नौ सौ पचास रुपये मात्र)

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दर्शित ईको क्लास वनों का घनत्व एवं प्रत्याशा मूल्य की गणना सही है।

तैयार किया गया (नाम)

जांचा गया (नाम)

सत्यापित किया (नाम)

पुनः सत्यापित किया (नाम)

वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान,
जगदलपुर

सहायक वन संरक्षक
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
जगदलपुर

निदेशक
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
जगदलपुर

मुख्य वन संरक्षक (व्यंजीवन) एवं
क्षेत्रीय निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व,
जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़